CENTRAL INFORMATION COMMISSION
CIC New Building, CIC Bhawan
Baba Gang Nath Marg, Munirka-110067, New Delhi
(Room No. 303)Tel:+91-11-26105682

CICOM/R/P/2020/00009 Dated: 20.01.2020

Shri S.C.Garg,

Subject: Information under RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application dated 23.12.2019 received in this Registry through RTI Cell of CIC on 03.01.2020. Information is as under please:

Point-1. In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/120326 and appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104625, by the respondent, it is to intimate that the CPIO has submitted the affidavit to the Commission with a copy to you deposing that the RTI application was not received in their office, vide letter dated 19.09.2019. However, for other part of compliance in this case, the matter has been taken up with the CPIO for providing the information within 07 days. Similarly, in respect of compliance of case No. CIC/NWRLY/A/2018/104625, directions of CIC in respect of providing copy of letter dated 08.02.2018, the CPIO has complied the CIC directions by providing you copy of the same vide letter dated 27.09.2019.

Point No. II. In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/C/2018/109250, it was directed to the CPIO to provide copy of letter dated 12,02.2018, which has been provided to you vide CPIO letter dated 25.09.2019. Accordingly, the directions of the CIC have been complied with.

Point No. III: In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/103873 and appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104626, copy of letter dated23.01.2018 and copy of letter dated 12.02.2018, have been provided to you by CPIO vide his letter dated 25.09.2019. Similarly, in respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104626, the respondent has provide you copy of letter dated 06.11.2017 and letter dated 05.03.2018 vide his letter dated 25.09.2019 and accordingly complied the CIC orders.

Scanned by CamScanner

Point No. IV: In respect of compliance of appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104623, the Commission observed that the action/steps taken by the respondent in dealing with the RTI application is satisfactory. The appellant, if he so wishes, may deposit photo copy charges in order to obtain information, within 15 days from the date of receipt of this order. Accordingly, there are not directions to the CPIO and hence the non-compliance matter does not arise.

Point No. 5: In respect of Compliance of CIC order in respect of appeal No. CIC/RAILB/A/2018/109609, the CPIO, as per the directions given in the above order (Para 9,10 and 11) has provided the information, vide letter dated 04.09.2019, 06.09.2019 and 14.10.2019 (copies enclosed). Accordingly, action, where required, has been taken as per the above detail.

First Appeal, if any, under section 19(1) of the RTI Act, 2005, may be filed before the First Appellate Authority, Room No. 502, CIC New Building, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 30 days of the receipt of this reply.

Yours faithfully

(S.C.Sharma)
CPIO

CC: CPIO, RTI Cell, CIC for information please.

Scanned by CamScanner

पंजीकृत डाक द्वारा

(17)

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
प्रधान कार्यालय,इलाहाबाद
(इंजीनियरिंग शाखा)

संख्याः कोर/इन्जीनियरिंग/आर टी आई/ 43 दिनांक 19.1.2018

श्री एस .सी. गर्ग
रानीबाजार
सहारनपुर-247001

महोदय,

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में ।
संदर्भ - (I) आपका अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को सम्बोधित प्रार्थनापत्रो दिनांक12.10.2017,14.10.2017&18.11.2017 के सम्बन्ध मे।
(II) सहायक जन सूचना अधिकारी उ.म.रे इलाहाबाद का पत्र संख्या CRLY/R/2017/80325 दिनांक 20.12.2017 एव पी. आई. अो/ आर टी आई/अन्तरण /इला ० /101/17 दिनांक 18.12.2017
III) कृते महा प्रबन्धक (आर टी आई सेल), केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का पत्र संख्या कोर/आर टी आई सेल /2017/466 दिनांक 27.12.2017

संदर्भित पत्र (II) तथा (III) द्वारा इस कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि आपके संदर्भित पत्र (I) का उत्तर सीधा आपको दिया जाय। इस निर्देश के अनुपालन मे आपको निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही है।

केस न. 121के सम्बन्ध में आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों की नियुक्तियॉ माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत की गयी थीं । इन आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों के समक्ष आपका संदर्भित पत्र दिनांक 12.10.2017 का दिनांक 28.11.2017को अग्रसारित कर दिया गया था ।

दिनांक 14.10.2017 का पत्र इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।

आपका संदर्भित पत्र दिनांक 18.11.2017का उत्तर निम्न है।

आपके द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और असत्य है क्योकि महाप्रबन्धक,कोर,इलाहाबाद मे इनके तीन आर्बीट्रेशन केस चल रहे थे उनमे से दो का निस्तारण पहले ही किया जा चुका हे. तीसरा आर्बीट्रेशन केस न. 121 आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष लम्बित है ,जिसकी चार सुनवाई की जा चुकी है परन्तु आपके द्वारा या। आपके फर्म के पक्ष से कोई प्रतिनिधि सुनवाई मे उपस्शित नही हुए थे।

आर्बीट्रेशन केस न. 121 वाला मामला माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम. 1996 के तहत आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रहा है,जिसे न्यायिक समतुल्य दर्जा प्राप्त है.इसलिए फर्म या वलेमेंट को पत्र व्यवहार अनुबन्धो एवं माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम. 1996 के विभिन्न प्रावधानो को ध्यान मे रखते हुए आवश्यक जानकारी आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल से लेनी चाहिए फर्म या ठेकेदार द्वारा पिछले लगभग 13 वर्षो से अनावश्यक शिकायती पत्राचार करने के कारण मध्यस्थता विवादो को सुलझाने मे अनावश्यक विलम्ब हुआ । यदि आपके द्वारा अनावश्यक शिकायती पंत्राचार न अपनाई गई होती और मध्यस्थता विवादो मे पूर्ण सहयोग दिया होता तो निश्वत ही अब तक सभी मध्यस्थता विवाद काफी पहले सम्पन्न हो गये होते इसके लिए आप ही पूंर्ण रूप से स्वयं ही जिम्मदार हैं।

Scanned by CamScanner

आर्बीट्रेशन केस न. 116 तथा 117 के सम्बन्ध में आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत की गयी थी । इन आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों के समक्ष आपका तथा विभाग का एक ही स्तर था । अतः आपको तथा विभाग को अवार्ड्स की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों का था न कि विभाग का। अतः इस मद द्वारा वांछित सूचनाऐ आपको आर्बीट्रल ट्रिब्यूनलों से ही माँगनी चाहिए। इस सम्बन्ध मे आपका ध्यान केन्द्रीय सूचना आयोग के निम्नलिखित निर्णय की ओर आकृष्ठ किया जाता है जो Public Domain में अंग्रेजी मे ही उपलब्ध

Appeal No 607/ICPB/2007
FNo. PBA/07/160 Dated 25.6.2007
In the matter of RTI Act, 2005-Section 19
Appellant - Shri A K Chakraborti
Public Authority - Director General, Factory Advice Service and Labour Institute
Mr S G Darvhekar, DDG and CPIO
Mr S.K. Sexena, DG and Appellate Authority
'The commission has taken the view that the information sought, if directly related to the matter before a court, the same should be obtained through the same court'.

इन ट्रिब्यूनलो को न्यायिक समतुल्य दर्जा प्राप्त था। इनके समक्ष विभाग और आप दोनों बराबर थे। अतः आपको तथा विभाग को अवार्ड्स की प्रतियाँ देने का उत्तरदायित्व ट्रिब्यूनलो का था न कि विभाग का । इन फैसलो की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (3) की ओर आकृष्ट किया जाता है। इस धारा के अनुपालन में आप से अनुरोध है कि आप दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से निम्नलिखित धनराशि अतिरिक्त फीस के रुप मे जमा करे।

क्रम संख्या	केस संख्या	पृष्ठोंकी संख्या	धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	116	11	22.00
2	117	10	20.00
		योग	42.00

यह फीस प्राप्त होने के पश्चात इन पृष्ठो की फोटो प्रतियाँ (कृपया नोट करें फोटो प्रतियाँ) आपको पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी जायेगी । इस आशय की सूचनायें पूर्व मे आपको इसी अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रार्थनापत्र के उत्तर के रुप मे दी जा चुकी है। लेकिन आपने कभी भी अतिरिक्त फीस का भुगतान नही किया तथा आप प्रार्थनापत्र पर प्रार्थनापत्र देते चले गये

उक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है. कि श्री एस सी गर्ग द्वारा दिनांक 11.5.2011 से अभी तक उक्त आर्बीट्रेशन मामली में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सोलह प्रार्थना पत्रों द्वारा सूचनायें माँगी जा चुकी है, जो आपको पूर्व में ही निम्न प्रकार निर्धारित समय सीमाओं के अन्दर उपलब्ध करायी जा चुकी है।

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या	प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र की तिथि	इस कार्यालय का पत्र संख्या एवं दिनांक ,जिसके द्वारा वांछित सूचनायें आपको उपलब्ध करायी गयी हैं।
(1)	(2)	(3)
1	11.5.2011	संख्या - कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /1 दिनांक 23.5.2011
2	12.5.2011	संख्या - कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /2 दिनांक 24.5.2011
3	13.5.2011	संख्या - कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /3 दिनांक 24.5.2011
4	6.6.2011	संख्या - कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /7 दिनांक 6.7.2011
5	27.6.2011	संख्या - कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /8 दिनांक 13.7.2011
6	28.6.2011	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /9 दिनांक 14.7.2011
7	26.8.2011	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /10दिनांक 23.9.2011
8	4.11.2011	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /13दिनांक 16.11.2011
9	19.11.2011	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /15दिनांक 1.12.2011
10	31.7.2012	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /22दिनांक 3.9.2012
11	10.12.2012	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /25दिनांक 2.4.2013
12	23.6.2013	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /27दिनांक 23.7..2013
13	2.11.2015	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /40दिनांक 7.1.2016
14	7.8.2016	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /41दिनांक 2.9.2016
15	30.3.2017	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /42दिनांक 23.5.2017
16	13.5.2017	संख्या- कोर/ इन्जीनियरिंग/ आर टी आई /42दिनांक 14.7.2017

प्रार्थी का संदर्भित पत्र दिनांक 18.11.2017 इस अधिनियम के अर्न्तगत सत्रैवा पत्र है। धारा 7(1) के तहत 48 घंटों के अन्दर की है। इस धारा के प्रयोग के सम्बन्ध में सूचित करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 7 (1), जो अंग्रेजी भाषा में पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, में निम्नलिखित प्रावधान है-

7– **Disposal of Request**

(1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9.

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

Scanned by CamScanner

(14)

प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) के अर्न्तगत 48 घंटों के अन्दर उक्त सूचनाएें माँगी है । इस धारा के द्वितीय पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 48 घंटों वाला अधिकार तभी लागू होगा जब वांछित सूचनाऐं प्रार्थी की 'लाइफ' या उसकी 'लिबर्टी' से सम्बन्ध रखती हों । प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएँ उसकी 'लाइफ' या 'लिबर्टी' से कोई सम्बन्ध नही रखती है। इस प्रकार उनके इस प्रार्थना पत्र में इस धारा का कोई स्थान नही है। इस पत्र द्वारा माँगी गयी सूचनायें निम्न प्रकार है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विभाग से पत्र व्यवहार अनुबन्धो तथा माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानो को ध्यान मे रख कर ही करें । अगर आपका यह क्रम जारी रहा तो विभाग को बाध्य होकर आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करनी पडेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आप पर होगा ।

अगर आप इन सूचनाओं से सन्तुष्ट नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपनी प्रथम अपील निम्नलिखित प्रथम अपीलीय अधिकारी को इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते है।

मुख्य इंजीनियर
(प्रथम अपीलीय अधिकारी/इंजीनियरिंग)
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण सगठंन
1, नबाव यूसुफ मार्ग, इलाहाबाद-211001

सधन्यवाद्

प्रेषित
DESPATCHED
19 JAN 2018
प्रेषक का हस्ताक्षर
Sig. of Despatcher

(वी.के. गुप्ता) 19.1.18
उप मुख्य इंजीनियर
एवं
जन सूचना अधिकारी (इंजीनियरिंग)
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण सगठंन, इलाहाबाद

19.1.18

प्रतिलिपि प्रतिलिपि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं उप महा प्रबन्धक केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

Dy CE

May please approve the reply and sign.

19.1.2018
Ch OS

Beta/Desktop/RTI-

By Regd d..k

उत्तर पश्चिम रेलवे

कार्यालय,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 5वॉ तल
जवाहर सर्किल के पास जयपुर पिन कोड 302017

सं0 :–एन.डब्ल्यू.आर/आर/2017/80307 दिनांक 05-1-2018

श्री एस.सी.गर्ग
रानी बाजार सहारनपुर
पिन संख्या 247001

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना ।

संदर्भः– आपका आवेदन दिनांक 18.11.17 प्राप्ती तिथी 19.12.17

उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख हैं कि आपके द्वारा चाही गई आंशिक सूचना उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/प्रथम–जोधपुर द्वारा 02 पृष्ठों मे उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध कराई गई सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

इसी कम में आपके आर.टी.आई आवेदन की आंशिक सूचना विधुतीकरण से संबंधित होने के कारण आपका आर.टी.आई आवेदन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) मे इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.1.18 को मुख्य जन सूचना अधिकारी/रेलवे बोर्ड–नई दिल्ली को ऑन लाईन स्थांनातरित कर दिया है वे आपको सूचना सीधे उपलब्ध करायेगे ।

अगर आप इस सूचना से सन्तुष्ट नही होते है तो पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनो के अन्दर–अन्दर आप प्रथम अपील निम्नलिखित अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री अनुराग
अपर महाप्रबन्धक एवं अपील प्राधिकारी
उत्तर पश्चिम रेलवे जवाहर सर्किल के पास
जयपुर 302017

संलग्न/02 पृष्ठ

05.01.18

(ऐ0के0गुप्ता)
जन सूचना अधिकारी/निर्माण
एवं मुख्य इंजीनियर/नि0/द्वितीय/जयपुर

सूचनाः– उत्तर पश्चिम रेलवे से सम्बन्धित आरटीआई प्रार्थना पत्र अब वेबसाईट **http:rtionline.gov.in** पर ऑनलाईन रजिस्टर किये जा सकते है ।

Scanned by CamScanner

उत्तर पश्चिम रेलवे

सं. RTI/JU/Oct-19/SCG/CIC/Misc/ x
दिनांक - 14.10.2019

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ,
जोधपुर ।

Shri S. C. Sharma
Dy. Registrar,
Central Information Commission,
Baba Gang Nath Marg, Munirka,
New Delhi - 110067

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबन्ध में
संदर्भ : माननीय केन्द्रिय सूचना आयुक्त द्वारा फाईल संख्या CIC/RAILB/A/2018/109609 में दिनांक 27.08.2019 को हुई सुनवाई में दिए निर्णय की अनुपालना में अपीलकर्त्ता श्री एस. सी. गर्ग

*****

उपरोक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत लेख है कि अपीलकर्त्ता श्री एस. सी. गर्ग के प्रकरण के संबन्ध में दिनांक 27.08.2019 को हुई सुनवाई में माननीय आयुक्त द्वारा दिए निर्णय की अनुपालना में मुख्य इंजिनियर / निर्माण / द्वितीय – जयपुर का पत्र प्राप्त हुआ है (प्रति सलग्न), जिनमें उनके द्वारा आवेदक श्री एस सी गर्ग के मूल आवेदन में वांछित मद सं 3 व 4 की सूचना आवेदक को सीधे प्रेषित कर दी गई है ।

सूचनार्थ प्रेषित ।

सलग्न : 01 पेज

(विजय सिंह)
सहा. जनसूचना अधिकारी
उ. प. रे. जोधपुर ।

प्रतिलिपि :

श्री एस. सी. गर्ग , रानी बाजार , सहारनपुर (उ. प्र.) पिन – 247001 को माननीय केन्द्रिय सूचना आयुक्त , नई दिल्ली द्वारा फाईल स. CIC/RAILB/A/2018/109609 में दिनांक 27.08.2019 को हुई सुनवाई में दिए निणर्य की अनुपालना में सूचनार्थ प्रेषित !

Scanned by CamScanner

उत्तर पश्चिम रेलवे

मुख्य ... अधिकारी
... जयपुर ...
पिन कोड 30201...

एन.डब्ल्यू.आर / आर / 2017 / 80307 दिनांक 09.10.2019

...

...247011

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी श्री एस.सी.वर्मा द्वारा चाही गई सूचना क्रम में ।

संदर्भ : 1. माननीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली का निर्णय संख्या सी.आई.सी / रेलवे / ए / 2018 / 109809 दिनांक 27.8.2019 के संबंध मे ।
2. इस कार्यालय का पत्र संख्या एन.डब्ल्यू.आर / आर / 2017 / 80307 दिनांक 6.9.2019 के संबंध मे ।
3. जन सूचना अधिकारी / आर0एण्ड सी–जयपुर के पत्र संख्या एन.डब्ल्यू.आर. / आर / 2017 / 80307 दिनांक 03.10.2019 एवं सहायक जन सूचना अधिकारी / जोधपुर के पत्र दिनांक 03.10.2019 के संबंध मे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे आपकी द्वितीय अपील पर सुनवाई दिनांक 27.8.19 को सूचना आयुक्त नई दिल्ली के समक्ष ... सुनवाई के पश्चात् माननीय सूचना आयुक्त–नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 27.8.19 के द्वारा इस कार्यालय को ... दिये गये है कि आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या एन.डब्ल्यू.आर / आर / 2018 / 80307 दिनांक 5.1.2018 के ... इंजीनियर / नि0 / प्रथम जोधपुर द्वारा 02 पृष्ठो की जो सूचना आपको प्रेषित की गई थी उसकी ... किया जाए ।

संदर्भित निर्णय की अनुपालना में. दिनांक 05.1.18 द्वारा प्रेषित की गई सूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से आपको प्रेषित की गयी थी ।

आपको प्रेषित की गई सूचना में आपके आर.टी.आई आवेदन दिनांक 18.11.2017 मे वर्णित मद संख्या 3 एवं 4 की सूचना का समावेश था जो कि आपको संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है।

09.10.19
(ए0के0गुप्ता)
जन सूचना अधिकारी / निर्माण एवं मुख्य इंजीनियर / निर्माण / ... जयपुर

10/10/19

प्रतिलिपि :
... सूचना आयुक्त , केन्द्रीय सूचना आयोग , बाबा गंगनाथ मार्ग मुनिरका नई दिल्ली–110067 को आपके संदर्भित निर्णय की अनुपालना में सूचनार्थ प्रेषित है।

... सूचना अधिकारी / आर0एण्ड सी–जयपुर एवं सहायक जन सूचना अधिकारी / जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित आपके ... 3 के संदर्भ मे प्रेषित है।

Scanned by CamScanner